निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 130/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबू लाल पुत्र स्व॰ श्री गोविन्दनारायण माता स्व॰ श्रीमती गोपाली देवी जाति ब्राह्मण निवासी नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी आमेर श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस ।
2. श्रीमती कृष्णा माणक चन्द बोहरा पत्नी श्री माणक चन्द बोहरा निवासी स्टेशन रोड, जयपुर तहसील जयपुर व जिला जयपुर ।
3. रजनीश पुत्र श्री माणक चन्द बोहरा निवासी स्टेशन रोड, जयपुर तहसील जयपुर व जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2017 ब उनवानी संतोष बनाम माणक चन्द व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रमेश चन्द चेजारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 14-10-2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 28.08.2019 को जब प्रार्थी न्यायालय में गया तो वहा पर अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के कक्ष में बैठा हुआ था और जब प्रार्थी न्यायालय के रीडर के पास गया तो उन्होने ने मुझे बताया कि पत्रावली पीठासीन अधिकारी के कक्ष में गई है। पीठासीन अधिकारी से तारीख के सम्बन्ध में मिला तो मुझे कहा कि आपके मुकदमें का क्या उनवान है। प्रार्थी द्वारा मुकदमे का उनवान बताते ही पीठासीन अधिकारी व वहां पंर मौजूद अप्रार्थी संख्या 2 दोनों हडबडा गये और अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के कार्यालय से उठ कर बाहर आ गया और मुझे एलानिया धमकी दी की तम्हारे दावे का शीघ्र निस्तारण करेंगे। जिस हेतु छोटी छोटी तारीख दे रहे है। यह सब सुन कर प्रार्थी काफी आश्चर्यचकित हो गया । जैसे ही पीठासीन अधिकारी से कार्यालय में जाकर मिला तो उन्होने भी यही कहा कि मै तुम्हारे दावे का शीघ्र निपटारा करूंगा । यह सुन कर प्रार्थी को पूर्ण यकीन हो गया कि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ गांठ हो गई है और वे जल्दी ही इस मुकदमें का निपटारा करने वाले है। पीठासीन अधिकारी अपने पद एवं प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रह प्रार्थी पर अनुचित दबाव डाल कर न्याय के

जिला कलक्टर जयपुर

नैसर्गिक सिद्वान्तों का गलत इस्तेमाल कर है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी आमेर के न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नही रही है। इसलिए मुकदमें को जयपुर स्थित किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर श्री रमेश चन्द चेजारा अधिवक्ता ने उपस्थित हुये ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. मूल प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बस्सी के क्षेत्राधिकार का है, जिसमें पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी बस्सी से दिनांक 22.12.2016 को उपखण्ड अधिकारी आमेर में स्थानान्तरित किया गया है। अब उपखण्ड अधिकारी आमेर के विरूद्व भी शंका जाहिर कर अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगाया जा रहा है जिससे मूल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर